का॰ज्ञ॰सं॰ 13035/4/88-रा.भा. (ग), दिनांक 12.7.1988

विषय: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों का सृजन।

सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 10(4)-ई(समन्वय)/85, दिनांक 8 जून, 1988 की ओर दिलाया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में क्रम सं॰ 8 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये पदों की मंजूरी के प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव अपने वित्त सलाहकारों के परामर्श से, वित्त मंत्रालय की सलाह से राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार और जारी किए गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार मंजूर कर सकते हैं।

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें वित्त मंत्रालय की सलाह से इस बारे में मार्ग-निर्देश जारी किये गये थे-

(1) कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 27.4.1981 - न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के बारे में।

(2) कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/1/81-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 13.4.1987 - अनुवादकों और पुनरीक्षकों के पद के बारे में मानक।

(3) कार्यालय ज्ञापन संख्या 13034/9/74-रा॰भा॰ (एकक), दिनांक 10.1.1975 - हिंदी टाइपिस्टों और टाइप की गई सामग्री के मिलान के लिए मानक।

3. सुविधा के लिए उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों की एक-एक प्रति संलग्न है।